/

## न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 87 / 2022
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 01.08.2022
निर्णय दिनांक: 19.03.2026

**अनवान**

1– बदामी पुत्री नारू जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

**बनाम**

1– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद
2– भगवान लाल पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
3– मांगु पुत्र दयाराम जति बैरवा,निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
4– गमेरा पुत्र नानु जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
5– गोकल पुत्र चुन्ना जाति बैरवा,निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
6– दयाराम पुत्र रामा जाति बैरवा,निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
7– पन्ना पुत्र घीसा जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
8– पारस पुत्री हजारी जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
9– भैरूलाल पुत्र हजारी जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
10–रतनलाल पुत्र हजारी जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
11–रामीबाई पत्नि हजारी जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
12–लेहरू पुत्र घीसा जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
13–वेणीराम पुत्र किशना जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
14–वरदा पुत्र घीसा जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
15–शंकरी बाई पुत्री हजारी जाति बैरवा, निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
16–हांसु पुत्र घीसा जाति बैरवा निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्**

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री दिनेश आचार्य
अधिवक्ता श्री रोशन लाल साहू

### निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा के आराजी नम्बर 3891 व 3893 स्थित है। प्रार्थीगण के विपक्षीगण पडौसी है किन्तु आये दिन मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते रहते है इसी वजह से मौके पर आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, उक्त विवाद समाप्त कराये जाने हेतु मौके पर पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षी एवं प्रार्थी के मध्य बाड को लेकर मौके पर कोई विवाद पैदा नही होवें। मौके पर आये दिन डिर्माकेशन को लेकर पक्षकोरो के मध्य विवाद होता रहता है विवाद को समाप्त

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करने के लिए यह यही न्यायोचित होगा कि मौके पर पक्षकारों के मध्य भूमि कि नपती करायी जावे एवं नपती करने के बाद मौके की स्थिति के अनुसार मीनार लगाई जावे, ताकि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भविश्य मे इस प्रकार की विवाद उत्पन्न नही होवें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 मे किया गया है, जिसके पडौस मे विपक्षीगण की भूमियो के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह (पत्थरगढी) कराई जावे एवं मौके पर मीनारबन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या 02 से 16 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रार्थीगण खातेदार होना जाहिर हैं एवं विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं वैसे भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 3891 व 3893 भूमि में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाते है, आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें। वक्त पत्थरगढी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 1000/– रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रेलमगरा को भेजी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
लेण्ड रिकोर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा